न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 04 / 2024
3. उनवान : सरकार जरिये श्री अवधेश गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय

—आवेदक

बनाम

1. जितेन्द्र पाल नोगीया पुत्र श्री रामगोपाल नोगीया (विक्रेता)
   मैसर्स– एन बी मार्ट, कालवाड रोड, जोबनेर, तहसील फुलेरा, जिला–जयपुर, मोबाइल न० 7733019969
   निवासी– वार्ड नंबर 6, रैगर मोहल्ला जोबनेर जिला जयपुर।

2. उषा नोगीया (प्रोपराईटर–एन बी मार्ट)
   मैसर्स– एन बी मार्ट, कालवाड रोड, जोबनेर, तहसील फुलेरा, जिला–जयपुर।
   निवासी– वार्ड नंबर 16, विलेज एण्ड पोस्ट जोबनेर जिला जयपुर–302012

3. मनीष कुमार जैन पुत्र श्री घीसा लाल जैन (प्रोपराइटर जैन एजेंसी)
   मैसर्स–जैन एजेंसी, वार्ड नंबर 9, जैन मोहल्ला जोबनेर, जिला जयपुर।
   निवासी– जैन मोहल्ला जोबनेर जयपुर राजस्थान 303328, मोबाइल न० 9414819209

4. दिलीप सिंह पुत्र श्री दशरथ सिंह (प्रोपराइटर– बाल गोपाल डेयरी प्रोडक्ट्स)
   फर्म का पता–एफ 280 रणपुर रीको इन्डस्ट्रीअल एरिया, कुबेर इन्डस्ट्रीअल एरिया एक्सटेंशन, कोटा राजस्थान 325003
   निवासी– रघुनाथ जी का चौक खंड गावडी, कोटा, राजस्थान 324001

—अभियुक्तगण

4. निर्णय दिनांक : 07 / 04 / 2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसाद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री भुवनेश जैन अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 3 की ओर से।

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

निर्णय

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 02 (ii), (v)/51, 58 एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 एवं नियम 2011

आवेदक अक्षेश गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय दिनांक 11–10–2023 को समय दोपहर 5.45 पी.एम. मैसर्स एन बी मार्ट, कालवाड रोड, जोबनेर, तहसील फुलेरा, जिला–जयपुर पर पहुंचे। वहां पर जितेन्द्र पाल नोगिया पुत्र श्री रामगोपाल नोगिया उपस्थित थे तथा पूछने पर स्वयं को इस फर्म का विक्रेता एवं मालिक होना बताया। जितेन्द्र पाल नोगिया को परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जितेन्द्र पाल नोगिया से वर्ष 2023 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र मांगा जिस पर उन्होंने मौके पर फर्म के खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रतियां प्रस्तुत की। उक्त दुकान के निरीक्षण के दौरान घी एगमार्क ग्रैड स्पेशल (ग्वाल कृष्णा ब्रांड) 500 एम एल पैक्ड के 6 पैकेट रखे हुये पाये गए। जिसमें गुणवत्ता में कमी का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु 4 नमूना भाग प्रति भाग 500 एम एल पैक्ड घी (ग्वाल कृष्णा) खरीदकर उसकी कीमत 1020/– रुपये विक्रेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री पवन कुमार नोगिया एवं श्री रमेश चन्द यादव के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे जितेन्द्र पाल नोगिया ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म स. 5ए की एक प्रति विक्रेता जितेन्द्र पाल नोगिया को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 4 नमूना भाग प्रति भाग 500 एम एल पैक्ड घी (ग्वाल कृष्णा) पर लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के कोड एवं क्रमांक एन–3600 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नः एन–3600 नियमानुसार चारों नमूना भाग) पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रैपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म न. 6 की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बंद नमूना भाग गय फार्म सं 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/794

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

दिनांक 30.10.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट सं एलएस/4118/एक्ट/2023/4179 दिनांक 18.10.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी सबस्टैण्डर्ड एवं contravenesregulation no 2.3.7(2) पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा समस्त मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। जिस पर अभिहीत अधिकारी द्वारा पत्रांक क्रमांक एफएसएसए/2023/299 दिनांक 28.03.2024 द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन फाइल करने हेतु अधिकृत किया गया है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण द्वारा मैसर्स एन बी मार्ट, कालवाड रोड, जोबनेर, जिला–जयपुर द्वारा सबस्टैण्डर्ड एवं contravenesregulation no 2.3.7(2) घी का विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii), (v) का उल्लंघन किया है। जिससे अप्रार्थीगण को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 58 के अनुसार जुर्माने से दण्डित किया जाये।

न्यायालय में आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्तगण को असालतन/वकालतन अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अभियुक्त संख्या 1, 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री भुवनेश जैन ने वकालतनामा पेश किया। अभियुक्त संख्या 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं। दिनांक 27.11.2024 को अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं। बार–बार आवाज दिलाई गई बावजूद अनुपस्थित। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जवाब बन्द किया गया। दिनांक 17.12.2024 को अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 3 की ओर से दिनांक 27.11.2024 के आदेश को अपास्त करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अंकित है कि अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 3 को न्यायालय के नोटिस प्राप्त नहीं हुए। अप्रार्थी संख्या 3 को भी जरिये दूरभाष प्रकरण के बाबत सूचना मिली। जिस पर अप्रार्थी संख्या 3 दिनांक 04.11.2024 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। अप्रार्थी संख्या 3 की वायरल बुखार हो जाने के कारण उपस्थित नहीं हो सका। अप्रार्थीगण के विरुद्ध पारित एक तरफा कार्यवाही अपास्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के विरुद्ध जवाब बन्द किये जाने के आदेश को अपास्त किया जाकर जवाब का अवसर दिये जाने की कृपा करें।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया है कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट संख्या सं एलएस/4118/एक्ट/2023/4179 दिनांक 18.10.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी सबस्टैण्डर्ड एवं contravenesregulation no 2.3.7(2) पाया गया। अतः अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii), (v) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 58 के अनुसार जुर्माने से दण्डित किया जाये।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 3 की ओर से उपस्थित। पूर्व में प्रस्तुत एकतरफा कार्यवाही समाप्त करने के प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली पूर्व से बहस में चल रही है। अप्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। परन्तु न्यायहित में सुना गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 3 को न्यायालय के नोटिस प्राप्त नहीं हुए। अप्रार्थी संख्या 3 को भी जरिये दूरभाष प्रकरण के बाबत सूचना मिली। जिस पर अप्रार्थी संख्या 3 दिनांक 04.11.2024 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। अधिवक्ता

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 3 को न्यायालय के नोटिस प्राप्त नहीं हुए। अप्रार्थी संख्या 3 को भी जरिये दूरभाष प्रकरण के बाबत सूचना मिली। जिस पर अप्रार्थी संख्या 3 दिनांक 04.11.2024 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने कथन किया कि खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन विधिवत रूप से करवाया हुआ है। वे किसी भी तरह के मिलावटी घी की बिक्री नहीं करते हैं। आवेदक का यह कथन पूर्णतया गलत एवं आधारहीन है कि विक्रेता द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी सब स्टेण्डर्ड का माना गया हो। भिन उत्तरदाता द्वारा कोई सब स्टेण्डर्ड घी का विक्रय नहीं किया गया कथित जाँच रिपोर्ट पूर्णतयाः आधारहीन तथ्यों से परे है एवं कतई विश्वसनीय नहीं है एवं प्रथमदृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।

हमने आवेदन पत्र का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तोवजात का अध्ययन किया। प्रार्थी पैरोकार एवं विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि नमूना एकत्रित करने की कार्यवाही नियमानुसार की गई थी। साथ ही दस्तावेजात पर अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं। जिससे सुस्पष्ट है कि अभियुक्त को कार्यवाही के विषय में समझाया गया। खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट सं एलएस/4118/एक्ट/2023/4179 दिनांक 18.10.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी सबस्टैण्डर्ड एवं contravenesregulation no 2.3.7(2) पाया गया। जिससे सुस्पष्ट है कि सब–स्टेण्डर्ड घी का क्रय/निर्माण करके विक्रय किया गया, जिसके लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है अभियुक्तगण द्वारा सब–स्टेण्डर्ड घी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii), (v) का उल्लघंन किया है। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 50, 51 व 54 में दोषी पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त प्रावधान के अनुसार अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 50, 51 व 54 के तहत अभियुक्त संख्या 1 जितेन्द्र पाल नोगीया पुत्र श्री रामगोपाल नोगीया (विक्रेता) मैसर्स– एन बी मार्ट, कालवाड रोड, जोबनेर, तहसील फुलेरा, जिला–जयपुर एवं अभियुक्त संख्या 2 उषा नोगीया (प्रोपराईटर–एन बी मार्ट) मैसर्स– एन बी मार्ट, कालवाड रोड, जोबनेर, तहसील फुलेरा, जिला–जयपुर दोनों अभियुक्तो प्रत्येक पर **50,000–50,000 रुपये** शास्ति राशि तथा अभियुक्त संख्या 3 मनीष कुमार जैन पुत्र श्री घीसा लाल जैन (प्रोपराइटर जैन एजेंसी) मैसर्स–जैन एजेंसी, वार्ड नंबर 9, जैन मोहल्ला जोबनेर, जिला जयपुर पर **1,00,000/– (अक्षरे एक लाख रुपये)** एवं अभियुक्त संख्या 4 दिलीप सिंह पुत्र श्री दशरथ सिंह (प्रोपराइटर– बाल गोपाल डेयरी प्रोडक्ट्स) फर्म एफ 280 रणपुर रीको इन्डस्ट्रीअल एरिया, कुबेर इन्डस्ट्रीअल एरिया एक्सटेंशन, कोटा राजस्थान पर **2,00,000/– (अक्षरे दो लाख रुपये)** की शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थीगण द्वारा शास्ति राशि जरिये चालान जमा कराई जाकर चालान की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 07/04/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुन्तल विश्नोई)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट